छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग

सिविल लाईन, जी.ई. रोड, रायपुर – 492001

दूरभाष क्र. –0771–4073555 फैक्सः 4073553

स्वप्रेरित याचिका क्रमांक 08/2009(एम)

कार्यपालन यंत्री (सं./सं.)
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पावर वितरण कंपनी मर्यादित
अंबिकापुर, जिला सरगुजा – उत्तरवादी

आदेश
(29.05.09)

विद्युत उपभोक्ता षिकायत निवारण फोरम, बिलासपुर द्वारा कार्यपालन यंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, अम्बिकापुर को फोरम के प्रकरण क्रमांक एल.टी./118/2008 दिनांक 14/10/08 के आदेष क्रमांक 137 दिनांक 14/11/08 के माध्यम से प्रकरण श्री किषन गोपाल अग्रवाल विरूद्ध कार्यपालन यंत्री व अन्य में पारित आदेष के अनुपालन नहीं करने के कारण दिनांक 06/02/09 को विद्युत अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 142 के अधीन कार्यवाही करने हेतु नोटिस जारी किया जिसकी प्रति आयोग को भी प्रेषित की गई। चूँकि, अधिनियम की धारा 142 के तहत कार्यवाही करने का अधिकार आयोग को है, अतः तत्सम्बन्ध में अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता षिकायत निवारण फोरम, बिलासपुर को उनके उक्त नोटिस दिनांक 06/02/09 को निरस्त करने का आदेष दिया गया। फोरम के आदेष क्रमांक 137 दिनांक 14/11/08 के अपालन के आधार पर आयोग द्वारा एक स्व–प्रेरित याचिका क्रमांक 08/2009 पंजीबद्ध कर कार्यपालन यंत्री (सुधार एवं संधार), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, अम्बिकापुर को अधिनियम की धारा 142 के अधीन आयोग द्वारा नोटिस जारी किया गया।

(2) श्री आर.के. मिश्रा, कार्यपालन यंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, अम्बिकापुर द्वारा आयोग के समक्ष प्रकरण में सुनवाई के समय यह जानकारी दी गई, कि उन्होंने फोरम के आदेष क्रमांक 137 दिनांक 14/11/08 के अनुपालन के साथ समेकित जानकारी अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता षिकायत निवारण फोरम, बिलासपुर को दिनांक 19/02/09 को प्रस्तुत कर दिया था। प्रतिवादी द्वारा यह निवेदन किया गया कि चूँकि उन्होंने फोरम के आदेष का अनुपालन कर दिया है अतः उन्हें धारा 142 के अधीन किये जाने वाले दण्डात्मक कार्यवाही से मुक्त किया जावे। प्रतिवादी द्वारा तत्सम्बन्ध में अपने पत्र दिनांक 19/02/09 की प्रति भी आयोग को प्रस्तुत की गई।

(3) आयोग के पत्र क्रमांक 529 दिनांक 13/04/09 के माध्यम से फोरम के आदेष क्रमांक 137 दिनांक 14/11/08 के अनुपालन सम्बन्धी वर्तमान स्थिति, एवं अनुपालन होने की स्थिति में फोरम के संतुष्टि के संबंध में जानकारी मॉगने पर अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता षिकायत निवारण फोरम, बिलासपुर द्वारा पत्र क्रमांक 234 दिनांक 24/04/09 के माध्यम से आयोग को सूचित किया गया कि कार्यपालन यंत्री, अम्बिकापुर के द्वारा प्रस्तुत मासिक प्रतिवेदन में आदेष के अनुपालन की तिथि दिसम्बर, 2008 है परन्तु पुनरीक्षित बिल का

विवरण फोरम को नहीं भेजा गया है, अतः यह स्पष्ट नहीं है कि फोरम के आदेष का पालन निर्धारित समयाविधि में किया गया है अथवा नहीं, एवं उपभोक्ता द्वारा भी इस संबंध में फोरम से पुनः पत्राचार नहीं किया गया है। चूँकि कार्यपालन यंत्री, अम्बिकापुर द्वारा आदेष का अनुपालन किया जा चुका है अतः आदेष के परिपालन से फोरम संतुष्ट है।

(4) चूँकि फोरम के आदेष क्रमांक 137 दिनांक 14/11/08 के परिपालन से फोरम, बिलासपुर संतुष्ट है, अतः आयोग अनुभव करता है कि कार्यपालन यंत्री, अम्बिकापुर के विरूद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के तहत कार्यवाही करने की आवष्यकता नहीं है एवं तदानुसार कार्यपालन यंत्री, अम्बिकापुर के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करते हुए यह प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

हस्ता./–	हस्ता./–
सदस्य	**अध्यक्ष**

सत्यप्रतिलिपि

(एन.के. रूपवानी)
सचिव